# दस माह में एक लाख से ज्यादा युवा बने उद्यमी

**लखनऊ।** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश में जनवरी 2025 में शुरू हुई इस योजना में 3 दिसंबर तक 111548 युवाओं को 4572.74 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। यानी दस महीनों में एक लाख से ज्यादा युवा नए उद्यम स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं।

युवा उद्यमी अभियान के नोडल अफसर सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि योजना के प्रति युवाओं का रुझान इस बात से स्पष्ट है कि अब तक 431871 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 348497 आवेदन बैंकों को भेजे गए और इनमें से 122722 आवेदनों को बैंकों ने स्वीकृति भी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सामाजिक प्रतिनिधित्व भी मजबूत हो रहा है। डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें ओबीसी, एससी-एसटी के करीब 65% लाभार्थी हैं। यह संकेत है कि योजना सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है। ब्यूरो

## मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान : योजना का लाभ सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग को

## युवाओं को अब तक दिए गए 4500 करोड़ से ज्यादा के ऋण

### सर्विस सेक्टर में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी

योजना के तहत उद्यम शुरू करने वाले युवाओं में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। 62.80% युवाओं ने सर्विस सेक्टर के लिए ऋण लिया है। 37.20% युवाओं ने मैन्युफैक्चरिंग/निर्माण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की। योजना में पुरुषों की हिस्सेदारी 71.2% और महिलाओं की 28% रही है। सर्वेश्वर ने कहा कि योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने पर फोकस है।

### योजना की पात्रता शर्तें

आवेदक यूपी का मूल निवासी हो। आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो, डिफॉल्टर न हों और प्रस्तावित उद्यम व्यावहारिक व रोजगार सृजक होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र व प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।